

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

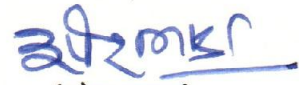
(दूरभाष नं.:—0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम-3048/2013)/अलेसे-III/1046

दिनांक :- 30/09/21

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक : एफ.4(ई)(एम-3048/2013)/अलेसे-III/1030 दिनांक 28.09.2021 के द्वारा जारी श्री मुकेश यादव, कनिष्ठ लेखाकार का निदेशालय स्तर से कार्यमुक्ति आदेश के क्रियान्वयन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई जाती है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम-3048/2013)/अलेसे-III/1046

दिनांक :- 30/09/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विशेषाधिकारी आर.एम.एस.सी. ,राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लि., जयपुर ।
- 2- योजना प्रबंधक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस), जयपुर।
- 3- श्री मुकेश यादव, कनिष्ठ लेखाकार कार्याल राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लि., जयपुर ।
- 4- पदस्थापन सीट / निजि /रक्षित पत्रावली ।



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)